भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2910

उत्तर देने की तारीख : 05.08.2026

कब्रिस्तान में शव दफनाने के लिए जमीन प्राप्त करने में मुश्किल

2910. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शव दफनाने हेतु कब्रिस्तान की भूमि प्राप्त करना अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के लिए कठिन होता जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को राज्य में कब्रिस्तान भूमि प्राप्त करने में अल्पसंख्यक समुदायों की सहायता करने में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II राज्य सूची के अंतर्गत कब्रिस्तान एवं शमशान भूमि राज्य का विषय है। अतः दफनाने (कब्रिस्तान) हेतु भूमि की पहचान, आवंटन तथा प्रबंधन से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तथापि, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्यरत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) को कुछ याचिकाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें याचिकाकर्ताओं ने कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन से संबंधित मामलों का उल्लेख किया है। आयोग ने इन मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों/प्राधिकरणों के समक्ष उठाया है।
